कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2018–19

काउंसलिंग में शामिल होने के लिये आधार अनिवार्य है

प्रथम चरण	
जेईई मेन–2018 की मेरिट पर आधारित सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित	
गतिविधियाँ	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	15/06/2018 से 04/07/2018 सांय 3 बजे तक
दस्तावेजों का सत्यापन	15/06/2018 से 04/07/2018 (प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिर्वतन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।**	18/06/2018 से 04/07/2018 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	05/07/2018 दोपहर 3 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों का सत्यापन*/आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश	09/07/2018 से 14/07/2018 सांय 5 बजे तक
प्रथम अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	09/07/2018 से 14/07/2018 सांय 5 बजे तक
प्रथम अपग्रेडेशन आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों का सत्यापन*/आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	17/07/2018 से 20/07/2018 सांय 5 बजे तक
द्वितीय अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	17/07/2018 से 20/07/2018 सांय 5 बजे तक
द्वितीय अपग्रेडेशन आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों का सत्यापन*/आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	24/07/2018 से 26/07/2018 सांय 5 बजे तक
द्वितीय चरण	
जेईई मेन–2018 की मेरिट पर आधारित सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित **एवं** **अर्हकारी परीक्षा आधारित** जेईई मेन–2018 के आधार पर आवंटन उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	16/07/2018 से 30/07/2018 सांय 3 बजे तक
दस्तावेजों का सत्यापन	16/07/2018 से 30/07/2018 (प्रातः 11 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिर्वतन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।**	16/07/2018 से 30/07/2018 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	31/07/2018 दोपहर 3 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों का सत्यापन*/आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश	02/08/2018 से 06/08/2018 सांय 5 बजे तक
आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन	
प्रवेशित संस्था के लिये प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन	07/08/2018 से 08/08/2018 सांय 5 बजे तक
ब्रांच परिवर्तन की सूची एवं पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	10/08/2018 को दोपहर 3 बजे तक
संस्था स्तर की कांउसलिंग	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	10/08/2018 से 14/08/2018 दोपहर 3 बजे तक
संस्था/ब्रांच की उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर इच्छुक संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश का अवसर प्राप्त करना	13/08/2018 एवं 14/08/2018 कार्यालयीन समय में

*** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था आवंटिन हुई है और आवंटन से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही करने से पूर्व सहायता केन्द्र से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है।**

प्रवेश निस्तीकरण :– काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग, सत्र 2018–19

महत्वपूर्ण निर्देश

पंजीयन (Registration) :–

1. काउंसलिंग प्रकिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** (NRI, IPS एवं CLC को छोड़कर) रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी/वर्ग का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/आधार नंबर/समग्र आईडी नंबर एवं संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऑनलाईन–सत्यापन किया जाकर पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की सभी जानकारियां ऑनलाईन सत्यापित हो जाएगी, उन्हें सहायता केन्द्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिये उपस्थित होने की आवश्यकता नही होगी, किन्तु जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः नही हो पाता है ऐसे अभ्यर्थियों को केवल पंजीयन पर्ची जारी की जावेगी और उन्हें अपने दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रो पर करवाना अनिवार्य होगा।

3. प्रथम/द्वितीय चरण **JeeMain-2018** आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।

4. पंजीयन के समय आधार नंबर अनिवार्य है आधार नंबर न होने की स्थिति में ही आधार पंजीयन नामांकन नंबर (16 डिजीट) का उपयोग अभ्यर्थी कर सकेगें। यदि आधार नंबर उपलब्ध नही है तो पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी आधार बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेवे।

5. पंजीयन के समय आधार का सत्यापन करवाना होगा, आधार सत्यापन हेतु आधार में पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से अथवा बायोमैट्रिक मशीन द्वारा एमपीऑनलाईन के कियोस्क अथवा काउंसलिंग के अधिकृत सहायता केन्द्रों से भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया दस्तावेजों के सत्यापन के समय तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

सत्यापन (Verification) :–

1. पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता चयन के पूर्व अथवा आवंटन उपरांत अपने मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा । ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है।

2. दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक है, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नही होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी यदि सत्यापन में सुधार करवाना चाहते है तो वे पुनः सत्यापन संबंधी कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर करवा सकते है।

3. प्राथमिकता चयन के पूर्व यदि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाईन अथवा सहायता केन्द्रों पर नही हो सका है तब ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त नही कर सकेगा।

4. जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

5. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं आवंटित हुई हैं एवं पंजीयन के समय उन्हें ऑनलाईन सत्यापित होकर पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त नहीं हुई है, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नही हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling):–

1. जेईई (मेन) 2018 के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में सामान्य पूल की सीटों के साथ–साथ शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना की सीटों पर भी प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लियें अभ्यर्थियों को कॉमन रूप से च्वाईस फिलिंग कर लॉक करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

2. अभ्यर्थी न्यूनतम 50 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।

3. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1530/– (कांउसलिंग शुल्क ₹400/–, आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1000/– एवं पोर्टल शुल्क ₹130/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)।

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1130/– (₹130/–पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)।

आवंटन (Allotment):–

1. जेईई (मेन) 2018/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित चरण में मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

अपग्रेडेशन एवं प्रवेश (Upgradetion and Admission):–

1. जेईई (मेन) 2018 के आधार पर आयोजित प्रथम चरण की काउंसिलिंग के दो अपग्रेडेशन के अवसर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अतः अभ्यर्थी यदि प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का इच्छुक है तब उसे ऑनलाइन अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
2. संस्था/ब्रांच का आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन करने के इच्छुक है तो उन्हें प्रत्येक अपग्रेडेशन हेतु अतिरिक्त आंशिक शिक्षण शुल्क रूप्ये 1030/–(रूपये 30/– पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा। अभ्यर्थी अपग्रेडेशन उपरांत अंतिम रूप से प्रवेश की कार्यवाही संपादित नही करता है तब उसके द्वारा जमा की गई आंशिक शिक्षण शुल्क की समस्त राशि जप्त कर ली जावेगी।
3. अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा तथा यदि अभ्यर्थी आवंटन से संतुष्ट है तब उन्हें आवंटन प्रिंटआउट में दर्शाई गई नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा।
4. यदि अभ्यर्थी प्रथम अपग्रेडेशन उपरांत भी द्वितीय अपग्रेडेशन के इच्छुक है तब वह निर्धारित आवश्यक शुल्क जमा कर द्वितीय अपग्रेडेशन में शामिल हो सकता है।
5. अपग्रेडेशन न होने पर अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्था का नवीन आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अथवा पुनः अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध होने पर अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते है। (अपग्रेडेशन में अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में से उसे आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम से ऊपर की प्राथमिकताक्रम के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा।)
6. यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नही हुआ है तो उन्हें स्वतः ही प्रत्येक अपग्रेडेशन राउंड में सम्मिलित किया जाकर अपग्रेडेशन की कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी जिन्हें संस्था प्राथमिकताक्रम चयन सूची में प्रथम च्वाइस प्राप्त हुई है तब उन्हें नैसर्गिक रूप से अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Sliding) :–

1. संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों को **प्रथम/द्वितीय चरण** की काउंसलिंग के उपरान्त, रिक्त एवं ड्रॉपआउट सीटों पर ऑनलाइन प्राथमिकताक्रम प्रस्तुत कर आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन का विकल्प प्रवेशित संस्था में दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क ₹100/– देय होगा। ब्रांच परिवर्तन होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश परिवर्तित ब्रांच में स्वतः ही मान लिया जावेगा।

प्रवेश (Admission) :–

1. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
2. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्थाऐं आवंटित हुई हैं एवं उन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है वे आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन कराने के उपरान्त आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

संस्था स्तर काउंसलिंग (College Level Counselling)

1. प्रदेश के निजी संस्थानों में जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित की जायेगी जिसमें जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के पंजीकृत अभ्यर्थियों को क्रमशः प्राथमिकता